ग्राम पंचायत कोहाला, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023

भाग-एक

1. प्रस्तावना

{क} ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनाँक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत कोहाला, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा के अवधि "04/21 से 03/23" तक के लेखों का अंकेक्षण हि.प्र राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री बलवंत राय	01-04-21 से 31-03-23

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री अश्वनी कुमार	01-04-21 से 22-09-21
2.	श्री दिनेश कुमार	23-09-21 से 31-03-23

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत कोहाला के अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि {₹ लाखों में}
1.	5	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	28.82

2.	6	प्रियासॉफ्ट के तहत दर्ज की गई प्राप्ति/व्यय व मैनुअल रोकड़ बही में दर्ज किये गये आंकड़ों में अंतर, प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए शेष तथा बैंक पास बुक शेष में अंतर पाया जाना	0.01
3.	7	पंचायत राजस्व राशि की वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.96
4.	8	पंचायत क्षेत्र में स्थापित मोबाइल टावर से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे	------
5.	9	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने से सम्भावित राजस्व हानि	0.53
6.	12	क्रय की गई सामग्री के लिए आपूर्तिकर्ताओं को नगद में भुगतान करने बारे	0.16

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

प्राय: यह भी देखने में आया है कि गत लेखा अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी जो अत्यंत चिंताजनक है । अतः ग्राम पंचायत इन लंबित पैरों के निपटारे हेतु विशेष कार्रवाई करनी सुनिश्चित करें तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण संभव हो सके।

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में निम्नलिखित दर्शायी गई है।

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि "04/2014 से 03/2017" तक

क्रम संख्या	**पैरा संख्या**	**पैरा स्थिति**	**टिप्पणी**
1	पैरा 3	निर्णीत	Para settled during special drive campaign between 10th Jan to 12th Jan 2022 at DPO Kangra
2	पैरा 4	निर्णीत	Para settled during special drive campaign between 10th Jan to 12th Jan

			2022 at DPO Kangra
3	पैरा 5	निर्णीत	Para settled during special drive campaign between 10th Jan to 12th Jan 2022 at DPO Kangra
4	पैरा 6	निर्णीत	Para settled during special drive campaign between 10th Jan to 12th Jan 2022 at DPO Kangra
5	पैरा 7	निर्णीत	Para settled during special drive campaign between 10th Jan to 12th Jan 2022 at DPO Kangra
6	पैरा 8	निर्णीत	Para settled during special drive campaign between 10th Jan to 12th Jan 2022 at DPO Kangra
7	पैरा 9	निर्णीत	Para settled during special drive campaign between 10th Jan to 12th Jan 2022 at DPO Kangra
8	पैरा 10	निर्णीत	Para settled during special drive campaign between 10th Jan to 12th Jan 2022 at DPO Kangra
9	पैरा 11	निर्णीत	Para settled during special drive campaign between 10th Jan to 12th Jan 2022 at DPO Kangra
10	पैरा 12	निर्णीत	Para settled during special drive campaign between 10th Jan to 12th Jan 2022 at DPO Kangra
11	पैरा 13	निर्णीत	Para settled during special drive campaign between 10th Jan to 12th Jan 2022 at DPO Kangra

12	पैरा 14	निर्णीत	Para settled during special drive campaign between 10th Jan to 12th Jan 2022 at DPO Kangra
13	पैरा 15	निर्णीत	Para settled during special drive campaign between 10th Jan to 12th Jan 2022 at DPO Kangra

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत कोहाला, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/2021 से 31/03 /2023" तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री अजय कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनाँक 24-01-2024 से दिनांक 09-02-2024 के दौरान पंचायत कार्यालय, कोहाला में किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021-22	03/22	11/21
2022-23	03/23	05/22

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के सचिव/प्रधान द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत कोहाला, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर **₹4,800/-** बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक,

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 174 दिनांक 09.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कोहाला से अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत कोहाला द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{क} **स्व: स्त्रोत:-** ग्राम पंचायत कोहाला के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" तक स्व: स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021-22	224577.01	53183.00	277760.01	199494.16	78265.85
2022-23	78265.85	32576.00	110841.85	74950.36	35891.49

{ख} **अनुदान:-** ग्राम पंचायत कोहाला के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण सलग्न **परिशिष्ट -1** में दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021-22	685947.50	4660518.27	5346465.77	2730512.00	2615953.77
2022-23	2615953.77	5189585.00	7805538.77	4923930.00	2881608.77

{ग} दिनाकं 31.03.23 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम संख्या	शीर्ष	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1.	General	HGB MATOUR	87890100019942	35884.49
2.	15TH FC	IDBI KANGRA	159104000055037	2243852.00
3.	SDP	IDBIB KANGRA	159104000039589	443768.50
4.	5TH FC	KCCB KANGRA	20033022879	193988.27
5.	14TH FC	KCCB KANGRA	50063974003	0.00

6.	14TH FC	IDBI KANGRA	159104000041496	0.00
7.	हस्तगत रोकड़			7.00
कुल योग				**2917500.26**

4.1 बैंक समाधान विवरणी:-

दिनांक 31-03-23 को बैंक अनुसार अन्त शेष	2917500.26
दिनांक 31-03-23 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष (क+ख)	2917500.26
अंतर	**0**

4.2 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को न तैयार करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुये एक आय तथा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग-अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय-व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय-व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

4.3 लेखा खाता /खाताबही तैयार न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस –किस कार्य हेतु कितनी – कितनी राशि प्राप्त हुई है व किस – किस कार्य पर कितना – कितना व्यय हुआ है।

अत: वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जाए।

5. अनुदान राशि ₹28.82 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना:-

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-क}** के अनुसार दिनांक 31-03-23 तक अनुदान राशि ₹2881608.77 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा, जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 की अवहेलना है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 172(1) दिनांक 09.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कोहाला से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर संख्या GP/KOHALA/06 दिनांक 09.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः वर्णित शेष अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. प्रियासॉफ्ट के तहत दर्ज की गई प्राप्ति/व्यय व मैनुअल रोकड़ बही में दर्ज किये गये आंकड़ों में अंतर, प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए शेष तथा बैंक पास बुक शेष में ₹0.01 लाख का अंतर पाया जाना :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम. एम. पी.) प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लीकेशन है जिनमें पंचायत की दैनिक कार्यवाही जैसे कि पंचायत द्वारा की गई सेवाओं/सामान खरीद/भुगतान सम्पति इत्यादि का इन्द्राज करना था।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि हेतु चयनित माह के दौरान प्रियासॉफ्ट में दर्शायी गई प्राप्ति व व्यय के आंकड़ों व पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गये मैनुअल रोकड़ बही के आंकड़ों में निम्न अंतर पाया गया:-

(क) प्रियासॉफ्ट में दर्ज मासिक प्राप्ति /व्यय व रोकड़ बही के अनुसार मासिक खर्च में अंतर (except manrega)

क्रम स.	माह	प्राप्ति			भुगतान		
		प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर
1	11/21	63027.00	62501.00	526.00	65873.16	65873.16	0.00
2	3/22	234689.00	234687.00	2.00	270321.00	266808.00	3513.00
3	5/22	200.00	200.00	0.00	81600.00	81600.00	0.00
4	3/23	666123.00	655683.00	10440.00	398589.00	386979.00	11610.00

(ख) प्रियासॉफ्ट में दर्ज वार्षिक प्राप्ति /व्यय व रोकड़ बही के अनुसार वार्षिक खर्च में अंतर (Except MNREGA)

क्रमस.	वर्ष	प्राप्ति			भुगतान		
		प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर
1	21-22	2929862.77	2929404.27	458.50	1190968.66	1145709.16	45259.50
2	22-23	3304448.50	3229047.00	75401.50	3082726.36	3005766.36	76960.00

(ग) प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए गए शेष तथा बैंक पास बुक शेष में अंतर पाया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:- (Except MNREGA)

वर्ष	प्रियासॉफ्ट के अनुसार बैंक शेष	बैंक पासबुक के अनुसार शेष+(CASH IN HAND)	अंतर
22-23	2918339.26 + 7.00 (Cash in Hand) = 2918346.26	**2917500.26**	**846.00**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 172(3) दिनांक 09.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या GP/KOHALA/06 दिनांक 09.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः अन्तर के कारणों को स्पष्ट करते हुये वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7. पंचायत राजस्व राशि ₹0.96 लाख की वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

(क) गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण ₹0.95 लाख का पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 33 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 102 के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत को अपने कार्यक्षेत्र में निर्धारित दर से गृह कर आरोपित करने तथा उसके संग्रहण का अधिकार है।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अपने अधीनस्थ सभी स्त्रोतों जहां से राजस्व उत्पन्न होता है, इतनी रकम का, जितनी बैंक, खजाना या अन्य लेखा-जोखा दिया है के लिए उधार दावा करते हुए, मासिक लेखे और विवरणी, अभिप्राप्त करने की व्यवस्था करेगा और उन्हें प्रारूप 10 में मांग रजिस्टर में नोट करवाएगा।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख अर्थात गृह कर के मांग व संग्रहण रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया था। पंचायत द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वर्ष 2021-22 के दौरान `50 प्रति वर्ष व

वर्ष 2022-23 के दौरान `100 प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि `85625 के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.23 को शेष थी, जिसका विवरण परिशिष्ट "ख" व नीचे तालिका में दिया गया है:-

सम्पति कर:-

वर्ष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2021-22	723	50	14425	36150	50575	33000	17575
2022-23	723	100	17575	72300	89875	4250	85625

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी। मांग व वसूली रजिस्टर का साधारण प्रारूप -10 पर नहीं किया गया था जिससे कि लम्बित गृह कर तथा वसूली का सही पता लगाया जा सके। गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख का संधारण न करना तथा गृह कर नियमित रूप से वसूल न करना इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है, जो कि उपरोक्त नियमों की अवहेलना है।

(ख) समुदायक भवन :-

वर्ष	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2021-22	3000	6000	9000	0	9000
2022-23	9000	6000	15000	5000	10000

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 172(2) दिनांक 09.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तिय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर संख्या GP/KOHALA/06 दिनांक 09.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः पंचायत राजस्व बकाया राशि की नियमित वसूली न करने के कारणों से अवगत करवाते हुये लम्बित करों एवं बकाया राजस्व की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

8. पंचायत क्षेत्र में स्थापित मोबाइल टावर से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे

प्रधान सचिव, सूचना प्रोद्योगिकी द्वारा जारी अधिसुचना संख्या DIT.Dev-(IT)2005(Misc.)96 दिनाकं 21 जून 2017 के पैरा 3.4 के अनुसार , ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल टावर की स्थापना पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत को ₹4000 से बढ़ाकर ₹10000 स्थापना शुल्क एवम प्रतिवर्ष ₹2000 से बढ़ाकर ₹5000 नवीनीकरण शुल्क प्राप्त करने का अधिकार है | पैरा 3.4 (ii)के अनुसार हर 5 साल के पूरा होने पर नवीनीकरण शुल्क में 25 % की बढोत्तरी की जाएगी। पैरा 3.4 (iv) के अनुसार कोई भी मोबाइल टावर कम्पनी यदि अतिरिक्त अन्टेना किसी स्थापित टावर पर लगाएगी तो उसे वार्षिक शुल्क का 60% नवीनीकरण देना होगा।

इसके अतिरिक्त पैरा 3.4 (vi) के अनुसार यदि कोई मोबाइल टावर कम्पनी नोटिस की तिथि से 30 दिन के अंदर शुल्क नहीं चुकाती है तो उसे प्रति सप्ताह 5% दंड शुल्क भी चुकाना होगा परन्तु यदि लम्बित राशि नोटिस की तिथि से दो माह तक भी नहीं चुकाई जाती है तो ग्राम पंचायत सम्बन्धित कम्पनी की अनुमति रद करने बारे नोटिस जारी कर सकती है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2021-2022 के दौरान पंचायत परिक्षेत्र में स्थापित मोबाइल टावर से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे मोबाइल टावर कंपनी से वसूली योग्य राशि की जांच अंकेक्षण द्वारा नहीं की सकी । जो पंचायती राज (वित्त) नियम 2002 के नियम 79(2) की स्पष्ट उलंघना है |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 172(6) दिनांक 09.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/KOHALA/06 दिनांक 09.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

9. खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने से राशि ₹0.53 लाख की सम्भावित राजस्व हानि:-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम '81' व '81ए' के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंटरी पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिबार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गई थी परन्तु आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को निम्न विवरणानुसार ₹**53276/-** का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है :-

नाम	मात्रा (cum)	फैक्टर	कुल मात्रा	दर (प्रति टन)	राशि
रेत	121.80	1.62	197.32	60	11839
बजरी	55.79	1.52	84.80	60	5088
पत्थर	16.99	2.24	38.05	60	2283
रेत	115.68	1.62	187.40	80	14992
बजरी	69.24	1.52	105.24	80	8419
कुल योग					**42621**
पेनल्टी 25%					**10655**
कुल योग					**53276/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 173(7) दिनांक 09.02.2024द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/KOHALA/06 दिनांक 09.02.2024द्वारा अंकेक्षण को अवगत

करवाया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण **रॉयल्टी** की गणना नहीं की जा सकी उतर संतोषजनक नहीं है।

अतः **₹53276/-** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा यह मामला आवश्यक कार्यवाही एवं स्पष्टीकरण हेतु सम्बन्धित विभाग से उठाया जाए तथा तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हि. प्र. सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853-Non ferrous mining and Metallurgical Industries,102- Mineral Concession fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों को रॉयल्टी के लिए जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जांच अपने स्तर पर करके नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से भी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10. बिल/ वाउचरों के भुगतान हेतु पारित आदेश सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संख्यापरीक्षा, संख्याकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/2021 से 03/2023 के दौरान बिलों का भुगतान हेतू उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया था जिनमें से चयनित माह के व्यय का विवरण निम्न दिया गया है।

क्र° स°	बर्ष	चयनित माह	चयनित माह में पारित बिलों की कुल राशि
1.	2021-22	11/21	459696.16
2.	2022-23	05/22	1124058.00

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 173(8) दिनांक 09.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके

प्रतिउतर संख्या GP/KOHALA/06 दिनांक 09.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

11. बिल / वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार "पंचायत के सचिव प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित करेगा" ।

अंकेक्षण हेतु चयनित माह 11/21 व 05/22 के दौरान व्यय वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि माह 11/21 व 05/22 के दौरान व्यय की गई राशि से सम्बन्धित बिल/ वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं थे जो कि उपरोक्त नियमों के विपरीत है |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 173(9) दिनांक 09.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/KOHALA/06 दिनांक 09.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

12. क्रय की गई सामग्री के लिए आपूर्तिकर्ताओं को राशि ₹0.16 लाख का नगद में भुगतान करने बारे:-

हि०प्र० पंचायतीराज(वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमक 10(2) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा सामग्री के क्रय के लिए आपूर्तिकर्ता को किए जाने वाले **संदाय/भुगतान केवल क्रास-चैक द्वारा ही किए जाएँगे |**

परन्तु अंकेक्षण के दौरान पंचायत के अभिलेखों के अवलोकन पर पाया गया कि निम्नलिखित अदायगियां नगद की गई थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	वाउचर संख्या/दिनांक	क्रय की गई सामग्री	भुगतान की गई राशि
1.	P-33/28.03.2022	Electercity bill	1484

2.	P-34/28.03.2022	Stationery bill	3100
3.	P-01/20.04.2022	Office Expenses	1210
4.	P-08/29.04.2022	Office Expenses	1120
5.	P-20/15.10.2022	Stationery bill	1250
6.	P-22/15.10.2022	Office Expenses	1700
7.	P-25/15.10.2022	Office Expenses	3809
8.	P-38/15.10.2022	Computer Expenses	1050
9.	P-40/15.10.2022	Office Expenses	1160
कुल योग			**15883/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 173(11) दिनांक 09.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/KOHALA/06 दिनांक 09.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उक्त वर्णित नियम प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में की जाने वाली अदायगियां उपरोक्त नियम के अनुसार क्रास-चैक द्वारा ही की जाएँ तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

13. मापन पुस्तिकाओं का सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों से नमूना जाँच व सत्यापन न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, सकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 104 (i) व (ii) के अनुसार ग्राम पंचायत अपने स्तर पर निष्पादित किये जाने वाले संकर्मो की दशा में, तकनीकी सहायक द्वारा निर्माण पर्यवेक्षण अनिवार्य होगा तथा सम्बद्ध कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा, तकनीकी सहायक के तीन लाख रूपये तक की लागत के पैमाइश किये गये संकर्मो के दस प्रतिशत पर परीक्षण जांच संचालित करना अपेक्षित है तथा नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है|

अंकेक्षण के दौरान नमूना जाँच में पाया गया कि उपरोक्त नियम की अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही थी, जिसमें से कुछ प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	शीर्ष	स्वीकृत राशि	माप पुस्तिका व पेज संख्या
1.	C/O Ambulance road alongwith Danga towards Choudhary Ram house	SDP	150000	13694/79-81
2.	C/O Kuhal from Pyar Singh land to Jagroop Singh.	मनरेगा	105000	17848/6-8
3.	C/O Kuhal from Rajmal land towards Mehar chand land .	मनरेगा	104000	17848/4-6
4.	C/O Kuhal from Kamal kumar house to Mehar singh land.	मनरेगा	140000	17848/1-3
5.	C/O road from Sukh Lal House towards Trilok house ward no. 3.	मनरेगा	299000	17848/9-11
6.	C/O road from main path towards Ramesh Thakur House.	मनरेगा	300000	17848/28-30

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 173(10) दिनांक 09.02.2024द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/KOHALA/06 दिनांक 09.02.2024द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके ऑडिट को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

14. ₹150 की राशि रोकड़ बही में कम दर्ज करने बारे

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 10 के अनुसार सचिव द्वारा प्रत्येक आहरण ,प्राप्ति की और तथा निक्षेप सवितरण की और रोकड़ बही में शीघ्रता से प्रविष्टी की जाएगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सभा निधि की रोकड़ बही में दिनांक 25.03.2022 को सम्पति कर के रूप में ₹18800 की राशि दर्ज की गयी थी परन्तु उक्त राशि की जाँच रसीदों से करने पर पाया गया की **₹150 की राशि रोकड़ बही में कम दर्ज की गई थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है :**

क्रम संख्या	**रसीद संख्या**	**राशि**
1	593924 से 593951	1400
2	137001 से 137100	5000
3	137301 से 137400	4800
4	137201 से 137300	5000
5	137401 से 137442	2100
6	137101 से 137113	650
कुल योग		**18950/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 172(5) दिनांक 09.02.2024द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/KOHALA/06 दिनांक 09.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके ऑडिट को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

15. दोहरी उपस्थिति के कारण अनियमित भुगतान करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान मनरेगा के मस्ट्रोल में उपस्थित आवेदकों (पंचायत सदस्यों) की उपस्थिति की जाँच पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर के साथ करने पर पाया गया कि पंचायत सदस्यों की उपस्थिति समान (Same) दिन में मनरेगा मस्ट्रोल व पंचायत बैठक दोनों में ही दर्ज की गयी थी, जो कि अनियमित है | उपरोक्त अनियमिता का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	मस्ट्रोल संख्या/अवधि	निर्माण कार्य का नाम	मस्ट्रोल में उपस्थिति की तिथि	पंचायत बैठक में उपस्थिति की तिथि	मानदेय के रूप में भुगतान की गई राशि	मनरेगा की मजदूरी दर के रूप में भुगतान की गई राशि
1.	श्रीमती पुष्पा देवी , वार्ड पंच	1034/05.05.2022 से 15.05.2022	C/OProtection wall Mehar Chand s/o Jaru Ram.	08-05-2022	08-05-2022	300	203
2.	श्रीमती रजनी देवी , वार्ड पंच	1034/05.05.2022 से 15.05.2022	C/Oland Protection wall Rashpal land.	08-05-2022	08-05-2022	300	203
3.	श्रीमती गीता देवी , वार्ड पंच	1034/05.05.2022 से 15.05.2022	C/O Ambulance road from Kishori lal house to Dullo Rani house	08-05-2022	08-05-2022	300	203

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 172(6) दिनांक 09.02.2024द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके

प्रतिउतर संख्या GP/KOHALA/06 दिनांक 09.02.2024द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके ऑडिट को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उपरोक्त अनियमित भुगतान की वसूली वस्तुस्थिति अनुसार यथोचित दर से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16. आपूर्तिकर्ता को ₹660 /-का अधिक भुगतान करने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा शीर्ष के अंतर्गत मै. सन शाइन कंक्रीट वर्क्स को मनरेगा बोर्ड ("3x2") के लिए ₹2790 की दर से भुगतान किया गया था, जबकि वर्ष 2021-22 की निविदाओं की तुलना करने पर पाया गया की पंचायत द्वारा मनरेगा बोर्ड के लिए ₹2625 की दर फर्म के पक्ष में अनुमोदित की गई थी, जिसके फलस्वरूप पंचायत द्वारा ₹660 का अधिक भुगतान उक्त फर्म को किया गया था, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बिल संख्या/दिनांक	भुगतान की तिथि	विवरण	भुगतान की गई राशि (A)	विवरण	पंचायत द्वारा अनुमोदित दर	भुगतान योग्य राशि (B)	अधिक भुगतान (A-B)
1	80 दिनाँक 07.10.21	21.05.22	मनरेगा बोर्ड	2790	मनरेगा बोर्ड	2625	2625	165
2	86 दिनाँक 07.10.21	21.05.22	मनरेगा बोर्ड	2790	मनरेगा बोर्ड	2625	2625	165
3	89 दिनाँक 07.10.21	21.05.22	मनरेगा बोर्ड	2790	मनरेगा बोर्ड	2625	2625	165
4	91 दिनाँक 07.10.21	21.05.22	मनरेगा बोर्ड	2790	मनरेगा बोर्ड	2625	2625	165
कुल योग								660/-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 173(12) दिनांक 09.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/KOHALA/06 दिनांक 09.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके ऑडिट को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिए आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

17. विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था|

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 173(13) दिनांक 09.02.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/KOHALA/06 दिनांक 09.02.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अत: वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	1	12
2.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	---	15(1)
3.	सहायक अनुदान रजिस्टर, हि. प्र. पंचायती राज सामान्य नियम 1997	8	34
4.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डा रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण न करना	25 व 26	72(1) (ए,बी)

18. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया।

19. लघु-आपति विवरणिका :- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई हैं।

20. निष्कर्ष:- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवयश्कता है।

30 MAR 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का0 / पु0
1736 – 1740

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)126 / 2017–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत कोहाला, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

30 MAR 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का0 / पु0

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-22 OF GRAM PANCHAYT KOHALA BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA PINCODE 176001

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2021-22	224577.01	53183.00	277760.01	199494.16	78265.85

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2021 IN CASH BOOK **224577.01**

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT KOHALA BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA PINCODE 176001

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2022-23	78265.85	32576.00	110841.85	74950.36	35891.49

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK **78265.85**

Pradhan Secretary
Gram Panchayat Kohala
Dev. Block Kangra
Distt. Kangra (H. P.)

परिशिष्ट -क पैरा - 5 के संदर्भ में

FINANCIAL POSITION OF GRANT-IN-AID OF GP KOHALA BLOCK KANGRA FOR THE YEAR 2021-22

.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	56979.5	516.00	57495.50	57495.50	0.00
2	MGNREGA	0	1784297.00	1784297.00	1784297.00	0.00
3	ZP	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4	5TH FC	41394.5	404553.27	445947.77	244144.5	201803.27
5	DPO GRANT	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6	MPLAD	0	0.00	0.00	0.00	0.00
7	MMAGY	0	0.00	0.00	0.00	0.00
8	VKVNY	0	0.00	0.00	0	0.00
9	SDRF	0	0.00	0.00	0.00	0.00
10	13TH FC	0	0.00	0.00	0.00	0.00
11	SBM	0	0.00	0.00	0.00	0.00
12	GRDY	0	0.00	0.00	0.00	0.00
13	RGSA	0	0.00	0.00	0.00	0.00
14	SDP	75531.50	836798.00	912329.50	464560.00	447769.50
15	MMGPY	0	0.00	0.00	0.00	0.00
16	15TH FC	512042.00	1634354.00	2146396.00	180015.00	1966381.00
	TOTAL	685947.50	4660518.27	5346465.77	2730512.00	2615953.77

FINANCIAL POSITION OF GRANT IN AID OF GP KHOLA BLOCK KANGRA FOR THE YEAR 2022-23

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MGNREGA	0.00	1993114.00	1993114.00	1993114.00	0.00
3	ZP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	5TH FC	201803.27	258585	460388.27	266400	193988.27
5	DPO GRANT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	MPLAD	0.00	0	0.00	0	0.00
7	MMAGY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	VKVNY	0.00	0	0.00	0	0.00
9	SDRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	13TH FC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	SBM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	GRDY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	RGSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	SDP	447769.50	1203012.00	1650781.50	1207013.00	443768.50
15	MMGPY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	15TH FC	1966381.00	1734874.00	3701255.00	1457403.00	2243852.00
	TOTAL	2615953.77	5189585.00	7805538.77	4923930.00	2881608.77

GRANT IN AID AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK 2615953.77

J.A

Pradhan Secretary
Gram Panchayat Kohala
Dev. Block Kangra
Distt. Kangra (H. P.)

S

BANK DETAIL OF GP BIRTA BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA
CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 01-04-21

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General	HGB MATOUR	87890100019942	224400.01
2	15TH FC	IDBI KANGRA	159104000055037	512042.00
3	SDP	IDBIB KANGRA	159104000039589	79396.50
4	5TH FC	KCCB KANGRA	20033022879	43060.50
5	14TH FC	KCCB KANGRA	50063974003	0.00
6	14TH FC	IDBI KANGRA	159104000041496	56979.50
7	CASH IN HAND			177.00
			TOTAL	916055.51

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-22

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General	HGB MATOUR	87890100019942	78209.85
2	15TH FC	IDBI KANGRA	159104000055037	1966381.00
3	SDP	IDBIB KANGRA	159104000039589	447769.50
4	5TH FC	KCCB KANGRA	20033022879	131352.27
5	14TH FC	KCCB KANGRA	50063974003	2.00
6	14TH FC	IDBI KANGRA	159104000041496	4.00
7	CASH IN HAND			103.00
			TOTAL	2623821.62

BANK DETAIL OF GP BIRTA BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA
CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-23

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMOUNT
1	General	HGB MATOUR	87890100019942	35884.49
2	15TH FC	IDBI KANGRA	159104000055037	2243852.00
3	SDP	IDBIB KANGRA	159104000039589	443768.50
4	5TH FC	KCCB KANGRA	20033022879	193988.27
5	14TH FC	KCCB KANGRA	50063974003	0.00
6	14TH FC	IDBI KANGRA	159104000041496	0.00
7	CASH IN HAND			7.00
			TOTAL	2917500.26

Pradhan Balwant Rai Secretary
Gram Panchayat Kohala
Dev. Block Kangra
Distt. Kangra (H.P.)

Ajay
J.A

परिशिष्ट -ख" पैरा-7 के संदर्भ में.

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-22 OF GRAM PANCHAYT KOHALA BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2021-22	723	50	14425	36150	50575	33000	17575

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT KOHALA BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2022-23	723	100	17575	72300	89875	4250	85625

J. A

Pradhan Secretary
Gram Panchayat Kohala
Dev, Block Kangra
Distt. Kangra (H. P.)

25

परिशिष्ट -ख पैरा 7ख के संदर्भ में

OUTSTANDING AMOUNT OF COMMUNITY HALL AS ON 31-03-2023 OF GRAM PANCHAYAT KOHOLA BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA

YEAR	Opening Balance	Demand	Total	Collection	Outstanding Amount
2021-22	3000	6000	9000	0	9000
2022-23	9000	6000	15000	5000	10000

J.A

Pradhan Secretary
Gram Panchayat Kohala
Dev. Block Kangra
Distt. Kangra (H.P.)

26